अन्तवान .... बनाम ....

प्रकरण संख्या ..../ अन्तर्गत धारा..

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर जो इस पालना
14/2/23	पैरोकार राज उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित नहीं। प्रतिवादी संख्या 1 को एक-2 कर 3 बार आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध ~~के~~ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली वास्ते साक्ष्य स्टेट दिनांक 14/3/23 को पेश हो (हस्ताक्षर)	
14/03/23	पैरोकार राज उपस्थित। शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। शामिल मिसल रहे। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 05/04/23 को पेश हो (हस्ताक्षर)	
05/04/23	पैरोकार राज उपस्थित। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। वादी का वादपत्र भली भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाता है। पपा डिक्री इस आशय का जारी हो। पपा डिक्री की एक [illegible] को पालनार्थ प्रेषित [illegible] निर्णीत होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:21:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्या : 130/2021 GCMS 2021/247

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर		2. हिम्मतराम पुत्र लालाराम जाति नायक निवासी 5 ओ तहसील श्रीकरणपुर।

तारीख रजूः- 18.11.2021

उपस्थितः 1.पैरोकार राज

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

--निर्णय-- दिनांक : 05.04.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 7 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 61/61 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 4, 6, 7, 14, 15 की कुल 1.265 हेक्टैयर कृषि भूमि में प्रतिवादी हिम्मतराम के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रतिवादी द्वारा बिना रूपान्तरण करवाये उक्त भूमि पर कॉलोनी का निर्माण कर रखा है। जिसमें आबादी बसी हुई है। प्रतिवादी द्वारा कृषि भूमि को बिना रूपान्तरण करवाये आवासीय कॉलोनी का निर्माण कर अकृषि योग्य बना दी है। अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उलघंन है। अतः वादपत्र पेश कर अर्ज है कि चक 7 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 61/61 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 4, 6, 7, 14, 15 की कुल 1.265 हेक्टैयर कृषि भूमि को बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिए जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1 हिम्मतराम के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। साक्ष्यवादी में तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा शपथपत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। सामिल मिसल किया गया।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी शपथ पत्र, रिपोर्ट पटवार मण्डल लखियां का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 7 ओ, पटवार हल्का लखियां, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 61/61 की प्रति, रिपोर्ट पटवार मण्डल लखियां के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी द्वारा चक 7 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 61/61 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 4, 6, 7, 14, 15 की कुल 1.265 हेक्टैयर बारानी भूमि को बहक [illegible] जाने बावत निवेदन किया है। चक 7 ओ की जमाबन्दी [illegible] के [illegible] संख्या 61/61 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 4, 6, 7, 14, 15 की कुल 1.265 हेक्टैयर बारानी भूमि हिम्मत राम पुत्र लालाराम जाति नायक निवासी 5 ओ के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। रिपोर्ट पटवारी हल्का लखियां के मुताबिक चक [illegible] के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 4,6,7,14,15 की कुल 1.265 हेक्टैयर बारानी भूमि है। जिसका अकृषि कार्य हेतु लगभग 20 वर्ष से उपयोग हो रहा है। उक्त भूमि पर 7 ओ कॉलोनी की आवादी बसी हुई है। अतः वाद पत्र वादी, रिपोर्ट पटवार मण्डल लखियां, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:21:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

-:आदेश:-

अत: उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 7 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 61/61 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 4, 6, 7, 14, 15 की कुल 1.265 हेक्टैयर बारानी भूमि बहक सरकार दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि को बहक सरकार लिया जाकर कब्जा प्राप्त किया जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 05.04.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर) ★ सत्यमेव जयते

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:21:16 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

राजस्थान सरकार बनाम हिम्मत राम

धारा अन्तर्गत 177 आरटीए मुकदमा नम्बर 130/2021

निर्णय दिनांक :- 05.04.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी पेशकार राज उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 7 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 61/61 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 4, 6, 7, 14, 15 की कुल 1.265 हेक्टैयर बारानी भूमि बहक सरकार दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि को बहक सरकार लिया जाकर कब्जा प्राप्त किया जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 05.04.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	00	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	00	00	योग	00	00

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

दिनांक: 06.04.2023

क्रमांक: रीडर/ 2023/181

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:21:16 IST
Reason: SelfAttested